पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 759 /का.प./2004 रायपुर, दिनांक 26.03.2004 16/04/2004

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की शुक्रवार दिनांक 26.03.2004 को आयोजित आपात बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 26.03.2004 को शाम 05.00 बजे कुलपति जी के कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1.	प्रो. बी.पी. चन्द्रा	कुलपति
2.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	सदस्य
3.	डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी	सदस्य
4.	डॉ. ए.के. बंसल	सदस्य
5.	डॉ. (कु.) हेमलता महोबे	सदस्य
6.	डॉ. जी.डी. साव	सदस्य
7.	श्री भागवत चन्द्राकर	सदस्य
8.	डॉ. जी.एल. मूंदड़ा	सदस्य
9.	डॉ. ए.सी. जैन	सदस्य
10.	श्री ए. मिंज	कुलसचिव

1. पुनरीक्षित बजट वर्ष 2003-04 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2004-05 को पारित करने बाबत्।

निर्णय : विश्वविद्यालय सभा द्वारा सुझाए गए निम्न विषयों पर विचार किया गया :-
विश्वविद्यालय सभा द्वारा दिये गये सुझाव -

1. कला भवन के विस्तार हेतु बजट में समुचित प्रावधान किया जाय।
2. बजट पृष्ठ 22 में कोचिंग क्लासेस फार काम्पेटेटीव एक्जामिनेशन मद को बजट से विलोपित किया जाय।

उपरोक्त सुझाव क्र. 1 के संबंध में विश्वविद्यालय यंत्री से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा एवं क्र. 2 के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि उक्त मद को यथावत रखा जावे।

बजट पृष्ठ 26 मद एफ़ - 7, पर्सनल लोन के अंतर्गत कॉलम 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत प्रावधानित राशि 05 लाख, 05 लाख एवं 10 लाख के स्थान पर क्रमशः 37 लाख, 37 लाख एवं 50 लाख पढ़ा जाए। दृष्टि ओझल के कारण यह त्रुटि हुई थी।

उपरोक्त सुझावों एवं संशोधनों के साथ पुनरीक्षित बजट वर्ष 2003-04 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2004-05 को पारित किया गया। पृ. 20 के 3 (d) में गोपनीय मुद्रण में पुनरीक्षित बजट में 65 लाख के बदले 40 लाख रखा जावे। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्वीकृति नियमानुसार ली जावे। इसी मद से मॉडरेशन संबंधी व्यय किया जावे।

2. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्र. 88 की कंडिका 11 एवं 21 में आंशिक संशोधन पर विचार करना।

निर्णय : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्र. 88 की कंडिका 11 एवं 21 में आंशिक संशोधन का पारित किया गया।

3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.03.2004 के विषय क्र. 12 के कार्यवृत्त में रोके गए नतीजे की वर्तमान दर रु. 01.00 प्रति छात्र को संशोधित कर रु. 02.00 प्रति छात्र की गई यह त्रुटिवश टंकित करना छूट गया था अतः इसे कार्यवृत्त में जोड़ा जाता है।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.03.2004 के विषय क्र. 12 के कार्यवृत्त में रोके गए नतीजे की वर्तमान दर रु. 01.00 प्रति छात्र को संशोधित कर रु. 02.00 प्रति छात्र की गई यह त्रुटिवश टंकित करना छूट गया था अतः इसे कार्यवृत्त में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की गई।

4. विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.03.2004 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया साथ ही पद क्र. 02 के बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन, चार वर्षीय पाठ्यक्रम संबंधी अध्यादेश को स्वच्छ प्रतियों में टंकण करने हेतु सुझाव दिया गया। जैविकी अध्ययनशाला में संचालित तीन पाठ्यक्रम माइक्रोबायलॉज़ी, बायोसाइंस एवं बायोटेक्नालॉज़ी के पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी. द्वारा प्रेषित मॉडल केरीकुलम के अनुसार ही तैयार किया जावे।

5. वर्ष 2004 के परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं पर अंकित कर मूल्यांकन कराने का नया कार्य इस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं पर अंकित कराना पड़ेगा तथा 12 लाख अंकित किया जावेगा। इस प्रकार मेसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेसर, इंदौर को यह पद्धति लागू करने पर 12 लाख के स्थान पर 24 लाख करनी पड़ेगी, जिसके लिए फर्म द्वारा 00.46 पैसे प्रति विद्यार्थी की दर से अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई है। कुलसचिव द्वारा फर्म से दूरभाष पर चर्चा कर दर कम करने हेतु कहा गया। चर्चा उपरान्त फर्म 00.36 पैसे प्रति विद्यार्थी के दर से कार्य करने हेतु सहमत है। अन्य सेवा शर्तें पूर्व स्वीकृति के अनुसार रहेगी। अतिरिक्त कार्य के लिए 00.36 पैसे प्रति विद्यार्थी की दर से सभी परीक्षाओं के लिए मान्य किये जाने हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

6. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

निर्णय 1 : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 23.03.2004 के कार्यवृत्त को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि विषय क्र. 2 रेल्वे आरक्षण काउंटर भवन में खर्च निर्धारित राशि से अधिक न की जावे।

विषय : श्री राजीव मिश्रा, वि.वि. यंत्री की प्रतिनियुक्ति लौटाये जाने के संबंध में चर्चा।

निर्णय 2 : कार्यपरिषद के माननीय सदस्य डॉ. जी.एल. मूंदड़ा ने अध्यक्ष महोदय से श्री राजीव मिश्रा की प्रतिनियुक्ति वापस किये जाने के संबंध में किये गये कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। कुलसचिव ने अवगत कराया कि इस संबंध में माननीय सदस्य को कार्यपरिषद के पूर्व बैठक में अवगत कराया गया। इतना ही नहीं इस संबंध में लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपि भी पूर्व बैठक में माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया गया था। बैठक में पुनः यह अवगत कराया गया कि राजीव मिश्रा की सेवाएँ वापस किये जाने के संबंध में पत्र लिखा गया है। बार-बार उन्हीं तथ्यों को माननीय सदस्य द्वारा पूछे जाने

पर कुलसचिव ने आग्रह किया कि चूँकि बार–बार इसी संबंध में माननीय सदस्य द्वारा पूछा जा रहा है और यह प्रकरण उन्हीं से संबंधित है अत: उनकी अनुपस्थिति में इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा कर लिया जावे। चर्चा उपरांत वे वापस बैठक में उपस्थित हो जावेंगे। पुन: वापस आने पर बैठक में उन्हीं तथ्यों से अवगत कराया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यपरिषद की बैठक समाप्त की गई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. क्र. 760 /अका./2004

रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2004
16/04/2004

प्रतिलिपि :

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
04. डॉ. एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साइंस अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. डॉ. ओ.पी. वर्मा, आचार्य, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
06. प्रो. आर.सी. मेहरोत्रा, रायपुर,
07. डॉ. एस. सराफ, फ़ार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
08. प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
09. डॉ. (कु.) हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
10. श्री अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी. देव महाविद्यालय, कांकेर,
11. डॉ. अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगाँव,
12. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग,
13. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर,
14. डॉ. (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर,
15. डॉ. युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर,
16. श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक (पलारी क्षेत्र), बी-4, अयोध्या अपार्टमेंट, रायपुर,
17. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक, देशबन्धु, रायपुर,
18. डॉ. डी.के. कटारिया, शास. आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर,
19. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
20. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव